राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प. क. सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :– ई–18/एम/ /2019/ दिनांक :

आदेश

श्री महेन्द्र सिंह, कनिष्ठ सहायक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर को दिनांक 27.09.2019 से 02.10.2019 तक (06 दिवस) विदेश (बैंकाक, थाईलेण्ड) जाने की अनुमति निम्न शर्तों पर एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:–

1. कार्मिक विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वांछित अवधि का अवकाश स्वीकृत करवाकर प्रस्थान करेंगे तथा स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नही की जावेगी।
2. विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नही किया जावेगा।
3. अवकाश समाप्ति के पश्चात अपनी ड्यटी पर अविलम्ब उपस्थित होगें।
4. विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नही करेंगे।
5. विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्वेच्छिक सेवानिवृति स्वीकार नही की जावेगी।
6. राष्ट्र विरोधी गतिविधि में सम्मिलित नही होगें।

Sd/-

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज0 जयपुर

क्रमांक :– ई–18/एम/7527-2/2019/2065 दिनांक : 26/09/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर।
2. श्री महेन्द्र सिंह, कनिष्ठ सहायक को सूचनार्थ।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज0 जयपुर